न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास श्रीमती शकुंतला, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भीमसिंह पुत्र गणपतसिंहजी देवडा जाति राजपूत निवासी उथमण तह0 शिवगंज जिला सिरोही	**बनाम**	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रा0पत्र संख्या 36(A)/ 2024

–:आदेश:– **दिनांक 20.08.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की राजस्व आराजी मौजा उथमण के खसरा नं0 784, 992 ⁄ 678, 991 ⁄ 678, 676, 679, 683 कुल किता 6 कुल हैक्टयर भूमि की तरमीम वर्तमान में ऑनलाईन नक्शें में गलत रूप से की गई है व पुराना नक्शा लटठाट्रेस अनुसार भूमि की तरमीम सही रूप से थी। जिसे वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में पुराना नक्शा लटठाट्रेस के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट दिनांक 16.08.2024 को प्राप्त हुई।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत "खाता दुरस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का उथमण व भू.अ.नि. उथमण की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शिवगंज की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा उथमण पटवार हल्का उथमण तहसील शिवगंज** के खसरा नं0 784, 992 ⁄ 678, 991 ⁄ 678, 676, 679, 683 कुल किता 6 कुल हैक्टयर भूमि **का माफिक कब्जा व नक्शा लटठा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(शकुंतला, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

क्रमांकः–कोर्ट / 2024 / 483 **दिनांक 20–08–2024** 21

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अतिशीध्र अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)